

**ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
ANSARI NAGAR, NEW DELHI
(ACR Cell)**

F.No.1-6/2020-21/ACR/Estt.-I

Dated: 19.04.2021

CIRCULAR

Subject: Extension of the timelines for recording of Electronic Annual Performance Assessment Report (e-APAR) of Group 'A', 'B', & 'C' officers including Faculty Members of AIIMS, New Delhi for the assessment year 2020-2021.

The undersigned is directed to convey the timeline for distribution of blank e-APAR forms and completion of self-appraisal for Group 'A', 'B', & 'C' officers including Faculty Members of AIIMS, New Delhi has been re-scheduled on account of situation arising out of COVID-19 in pursuance of DoPT O.M. No.21011/02/2015-Estt(A-II)-Part II dated 14th April, 2021. Accordingly, the time schedule for generation, recording and completion of e-APAR for the assessment year 2020-2021 for Group 'A', 'B', & 'C' officers including Faculty Members of AIIMS are as under:

S.N.	Activity	Present extended date by which to be completed
1.	Distribution of blank APAR forms	31 st May, 2021
2.	Submission of self-appraisal to reporting officer	30 th June, 2021
3.	Forwarding of report by reporting officer to reviewing officer.	31 st July, 2021
4.	Forwarding of report by reviewing officer to APAR Cell/ Accepting Authority (wherever provided)	31 st August, 2021
5.	Appraisal by accepting authority, wherever provided or applicable	30 th September, 2021
6.	(i) Disclosure of e-APAR to the officer reported upon where there is no accepting authority. (ii) Disclosure of e-APAR to the officer reported upon where there is accepting authority	10 th September, 2021 10 th October, 2021
7.	Receipt of representation, if any, on e-APAR	15 days from the date of disclosure
8.	Forwarding of representation to the competent authority (c) Where there is no accepting authority for e-APAR (d) Where there is accepting authority	30 th September, 2021 31 st October, 2021


Ms. Ankita Saini,
Pl. upload.

Sharma
19/4/21.

Contd....2/....

	for e-APAR	
9.	Disposal of representation by the competent authority	Within one month of date of receipt of representation by the competent authority
10.	Communication of the decision of the competent authority on the representation by the APAR Cell	Within 15 days of finalization of decision by competent authority
11.	End of entire e-APAR process, after which the e-APAR will be finally taken on record	31 st December, 2021

2. This relaxation is a **one-time** measure only for the e-APAR year 2020-2021, and is subject to the condition that no remarks shall be recorded in the e-APAR for the year 2020-2021 after 31.12.2021. Where the reporting, reviewing and the accepting authority to fail the record their comments within the time frame, the officer reported upon may be assessed on the basis of the overall record and self-assessment for the year, if he has submitted his self-appraisal within stipulated time.
3. It has further been decided that for the e-APAR assessment year 2020-2021, the extended timelines specified as above shall also apply to the reporting, reviewing officer and accepting authorities, who have demitted office or retired from service on or after 28.02.2021. They shall be allowed to record their remarks till the respective extended cut-off dates.


(KUSHAL KUMAR)
ADMINISTRATIVE OFFICER

Distribution:

1. The PPS to Director/ Deputy Director (Admn.)/ Deputy Secretary
2. The Dean (Academic)/Dean (Research)/Dean (Examination)/Assoc. Deans
3. All the Chief of the Centre's, AIIMS
4. The Prof.-in-charge, Computer Facility, AIIMS
5. All the Medical Superintendent/Addl. Medical Superintendent
6. All the Head of the Departments/ Sections/ Units, AIIMS
7. The Senior Financial Advisor/ Financial Advisor, AIIMS
8. The Superintendent Engineer, ESD, AIIMS
9. The Chief Administrative Officer /All Sr. Administrative Officer/all Administrative Officer
10. All Chief Nursing Officer/ All DNS/ All ANS
11. All Notice Boards
12. Sh. Satish Prasad, System Analyst, Computer Facility, AIIMS: for kind information.
13. The Computer Facility, AIIMS: **with request to upload the same AIIMS portal.**
14. The Hindi Section: **Kindly translate it in the Hindi language and return back to the ACR Cell for circulation.**

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

अंसारी नगर, नई दिल्ली

(ए.सी.आर. प्रकोष्ठ)

22 APR 2021

फा.सं.1-6/2020-21/एसीआर प्रकोष्ठ/स्था.-I

दिनांक:

परिपत्र

विषय:- एम्स, नई दिल्ली में समूह 'क', 'ख' एवं 'ग' अधिकारियों तथा संकाय सदस्यों की मूल्यांकन वर्ष 2020-2021 की इलेक्ट्रॉनिक वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (ई-ए.पी.ए.आर.) भरने के लिए समयावधि विस्तार संबंधी।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश किया जाता है कि (कोविड-19) के प्रसार के कारण कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14 अप्रैल 2021 के कार्यालय जापन सं. 21011/02/2015-स्था(ए-11)-भागII के अनुपालन में समूह 'क', 'ख' एवं 'ग' के अधिकारियों तथा संकाय सदस्यों के लिए ई-ए.पी.ए.आर. के रिक्त फॉर्म के वितरण एवं स्व-मूल्यांकन को पूरा करने की समयावधि पुनः निर्धारित की गई है। तदनुसार, एम्स के समूह 'क', 'ख' एवं 'ग' के अधिकारियों तथा संकाय-सदस्यों हेतु मूल्यांकन वर्ष 2020-21 के लिए ई-ए.पी.ए.आर. को भरने एवं पूरा करने की तिथि निम्नानुसार होगी:-


क्र.सं.	कार्य-विवरण	कार्य पूरा करने की वर्तमान विस्तारित तिथि
1.	रिक्त ए.पी.ए.आर. फॉर्म का वितरण	31 मई, 2021
2.	रिपोर्टिंग अधिकारी को स्व-मूल्यांकन का प्रस्तुतिकरण	30 जून, 2021
3.	रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा समीक्षा अधिकारी को रिपोर्ट का अग्रेषण	31 जुलाई, 2021
4.	समीक्षा अधिकारी द्वारा ए.पी.ए.आर. प्रकोष्ठ/स्वीकृति प्राधिकारी (जहां लागू हो) को रिपोर्ट का अग्रेषण	31 अगस्त, 2021
5.	स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन, जहां ऐसा प्रावधान हो या लागू हो	30 सितम्बर, 2021
6.	(i) जहां स्वीकृति प्राधिकारी न हो, वहां रिपोर्टाधीन अधिकारी को ए.पी.ए.आर. का प्रकटीकरण (ii) जहां स्वीकृति प्राधिकारी हो, वहां रिपोर्टाधीन अधिकारी को ए.पी.ए.आर. का प्रकटीकरण	10 सितम्बर, 2021 10 अक्टूबर, 2021
7.	ए.पी.ए.आर. संबंधी यदि कोई अभ्यावेदन हो, तो उसकी रसीद	प्रकटीकरण की तिथि से 15 दिनों के भीतर
8.	सक्षम प्राधिकारी को अभ्यावेदन का अग्रेषण (क) जहां ए.पी.ए.आर. हेतु स्वीकृति प्राधिकारी न हो (ख) जहां ए.पी.ए.आर. हेतु स्वीकृति प्राधिकारी हो	30 सितम्बर, 2021 31 अक्टूबर, 2021
9.	सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभ्यावेदन का निपटान	सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभ्यावेदन की प्राप्ति के एक महीने के भीतर
10.	ई-ए.पी.ए.आर. प्रकोष्ठ द्वारा अभ्यावेदन पर सक्षम प्राधिकारी के निर्णय को संप्रेषित करना	सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिये जाने के बाद 15 दिनों के भीतर
11.	ए.पी.ए.आर. की संपूर्ण प्रक्रिया की समाप्ति, जिसके बाद ए.पी.ए.आर. को रिकार्ड में ले लिया जाएगा।	31 दिसम्बर, 2021

2. ई-ए.पी.ए.आर. वर्ष 2020-21 के लिए यह छूट केवल एक बार दी गई है और इस विषय के अधीन, 31.12.2021 के बाद वर्ष 2020-21 के लिए ई-ए.पी.ए.आर. में कोई टिप्पणी दर्ज नहीं की जाएगी। जहां रिपोर्टिंग, समीक्षा और प्राधिकारी को समय सीमा के भीतर अपनी टिप्पणियों को रिकॉर्ड करने में विफल होने पर अधिकारी द्वारा वर्ष के लिए समग्र रिकॉर्ड और स्व-निर्धारण के आधार पर मूल्यांकन किया जा सकता है, यदि उसने निर्धारित समय पर अपना स्व-मूल्यांकन प्रस्तुत किया हो।
3. इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2020-2021 के ई-ए.पी.ए.आर. मूल्यांकन के लिए निर्धारित उपर्युक्त विस्तारित समय-सारणी उन रिपोर्टिंग/समीक्षा अधिकारी तथा स्वीकृति प्राधिकारियों पर भी लागू होगी, जिन्होंने दिनांक 28.02.2021 को अथवा उसके बाद पदत्याग किया है अथवा सेवानिवृत्त हुए हैं। उन अधिकारियों को संबंधित विस्तारित समय-सारणी के अनुसार अपनी टिप्पणी दर्ज करने की अनुमति होगी।

(कुशल कुमार)
प्रशासनिक अधिकारी

वितरण:

1. निदेशक महोदय के प्रधान निजी सचिव/उप-निदेशक(प्रशा.)/उप-सचिव के निजी सचिव।
2. संकायाध्यक्ष (शैक्षिक/अनुसंधान/परीक्षा)/उप-संकायाध्यक्ष
3. सभी केन्द्रों के प्रमुख, अ.भा.आ.सं.
4. प्रभारी-आचार्य, कंप्यूटर सुविधा, अ.भा.आ.सं.
5. सभी चिकित्सा अधीक्षक/अपर चिकित्सा अधीक्षक
6. सभी विभाग/अनुभाग/एकक के अध्यक्ष, अ.भा.आ.सं.
7. वरिष्ठ वित्त सलाहकार/वित्त सलाहकार, अ.भा.आ.सं.
8. अधीक्षण अभियंता, इंजीनियरी सेवा विभाग, अ.भा.आ.सं.
9. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी / प्रशासनिक अधिकारी
10. मुख्य परिचर्या अधिकारी / सभी उप-परिचर्या अधीक्षक / सभी सहायक परिचर्या अधीक्षक
11. सभी सूचना-पट्ट
12. श्री सतीश प्रसाद, सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर सुविधा, एम्स: - सूचनार्थ
13. कम्प्यूटर सुविधा, अ.भा.आ.सं. : इसे अ.भा.आ.सं. के पोर्टल पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।



Ashwin
23/4/21
A. Ankit